क्षेत्रीय कार्यालय,

उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

सी–ब्लाक, इन्दिरा नगर, आवास विकास कालोनी,
रायबरेली–229001 (उ0प्र0)

पत्रांक– 536/M-O/G/R/2022-23 दिनांक– 28/9/22

To,

The Registrar General,
Hon'ble, National Green Tribunal,
Principal Bench, Faridkot House,
Copernicus Marg, Near India Gate,
New Delhi-110001

Sub.:-Regarding submission of compliance report of Hon'ble NGT, New Delhi order dated 16-08-2022 in O.A. No.-350/2022 Mahesh Kumar v/s State of Uttar Pradesh.

Sir,

Kindly refer above mentioned subject. In compliance of order dated 16-08-2022 the compliance report along with relevant enclosures are enclosed herewith for your kind perusal and further necessary action please.

Enclosures:-As above.

Sincerely Yours'

(Pradeep Kumar Vishwakarma)
Regional Officer 28/09/22

Copy to:-For information and necessary action please.

1- Member Secretary, U.P. Pollution Control Board, Lucknow.
2- District Magistrate, Raebareli.
3- Chief Environmental Officer (Circle-5), U.P. Pollution Control Board, Lucknow.
4- Chief Law Officer, U.P. Pollution Control Board, Lucknow.
5- Shri Pradeep Misra, Advocate, Supreme Court, B-235, Sector-XIX, Noida District-Gautam Buddha Nagar, 201301

Regional Officer

माननीय राष्ट्रीय अधिकरण नई दिल्ली में योजित वाद ओ0ए0 सं0–350/2022 महेश कुमार बनाम स्टेट आफ यू0पी0 में दिनांक 16.08.2022 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में आख्या।

कृपया उपरोक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि मैसर्स नारायण ब्रिक फील्ड, ग्राम–कोरवा, पो0–बिठूली, भोजपुर, तहसील लालगंज, रायबरेली के विरूद्ध मानकों के विपरीत स्थापना/संचालन के दृष्टिगत मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–350/2022 महेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में दिनांक–16.08.2022 को पारित आदेश का सुसंगत अंश निम्नवत हैं–

".....Notice alongwith copies of the application and report of the Joint Committee be issued to the Project Proponent- Narayan Brick kiln through Akash Bajpayee son of Santosh Bajpayee, village Korba Block and Police Station Sareni, Tehsil Lalganj, District Rae Bareli, Uttar Pradesh, State PCB and District Magistrate, Rae Bareli requiring them to file their response/reply to the allegations made in the application/observations made in the report of the Joint Committee within one month at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.

5. List for further consideration on 10.10.2022.

6. Notice be served on the Project Proponent through District Magistrate, Raebareli and for this purpose notice issued to the Project Proponent be sent to the District Magistrate, Raebareli by E-mail for getting service of the same effected on the Project Proponent and sending his report in this regard....."

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश के अनुक्रम में संदर्भित ईंट उद्योग के विरूद्ध प्रेषित शिकायत एवं गठित समिति की आख्या का तुलनात्मक विवरण निम्नवत है–

1. मैसर्स नारायण ब्रिक फील्ड, ग्राम–कोरवा, पो0–बिठूली, भोजपुर, तहसील लालगंज, रायबरेली का अक्षांश–26.132755 एवं देशान्तर–80.779456 है।
2. शिकायतकर्ता के अनुसार आवासीय क्षेत्र में 20 कच्चे या पक्के घर हो एवं जिनकी जनसंख्या 150 व्यक्तियों की हो उससे 01 किमी0 दूर ही ईंट भट्ठे का संचालन होगा, जबकि पास में ही ग्राम हरकिशुन खेड़ा एवं गॉव कोरवा है जिनकी दोनों गॉव की जनसंख्या मिलाकर 300 से अधिक है। उपरोक्त के अनुक्रम में अवगत कराना है कि उक्त ईंट भट्ठा वर्ष 1998–99 में स्थापित किया गया है तत्समय प्रचलित जिला पंचायत की गाईड लाईन के अनुसार आबादी से 200 मीटर के अन्दर ईंट भट्ठे की स्थापना अनुमन्य नहीं था। शिकायतकर्ता द्वारा वर्तमान में प्रचलित उ0प्र0 ईंट भट्ठा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली 2012 का उल्लेख किया गया है। जिसमें आबादी से दूरी **"आवासीय क्षेत्र से कम से कम 500 मीटर दूर स्थापित किया जाएगा, जिनकी न्यूनतम जनसंख्या 100–150 व्यक्तियों का हो अथवा 20 कच्चे या तो पक्के घर हों, किसी आवासीय क्षेत्र से 1.00 किलोमीटर दूर जिनकी जनसंख्या 150 व्यक्तियों अथवा 20 घरों से अधिक चाहे कच्चे या पक्के हो, से अधिक हो।"** उक्त गाईड लाईन के अनुसार **"कोई ईंट भट्ठा जो पूर्व में स्थापित/प्रचलन में था किन्तु विगत सत्र में प्रचालन में नहीं था, प्रचालन करना या नाम/स्वामित्व परिवर्तन करना चाहता है और उसके पास वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियत्रण) अधिनियम, 1981 और जल (प्रदूषण निवारण एवं नियत्रण) अधिनियम, 1974 के अधीन विधिमान्य अनुमति है, उसे प्रचालित कर सकता है। यदि वह लिखित में राज्य बोर्ड को सूचित करता है किन्तु वह सभी शर्तों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होगा जिनके अध्यधीन अनुमति प्रदान की गई थी।"**
3. शिकायतकर्ता के अनुसार कोई ईंट भट्ठा रजिस्टर्ड चिकित्सालय, स्कूल आदि के 01 किमी0 की परिधि में नहीं संचालित होना चाहिए जबकि ईंट भट्ठे के कैम्पस में ही रामगंगा महाविद्यालय

संचालित है एवं ईंट भट्ठे के बगल 200 मीटर दूर प्राथमिक विद्यालय एवं ए0एन0एम0 सेन्टर कोरवा है। उपरोक्त के अनुक्रम में अवगत कराना है कि **उक्त ईंट भट्ठा वर्ष 1998–99 में स्थापित किया गया है तत्समय प्रचलित जिला पंचायत की गाईड लाईन के अनुसार आबादी, सार्वजनिक इमारत, अस्तपाल, विद्यालय से 200 मीटर के अन्दर ईंट भट्ठे की स्थापना अनुमन्य नहीं था तथा गठित समिति द्वारा दिए गए निरीक्षण आख्या के अनुसार पूरब दिशा में 200 मीटर की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय कोरवा एवं 250 मीटर की दूरी पर ए0एन0एम0 सेन्टर तथा उत्तर दिशा में 300 मीटर की दूरी पर ग्राम हरकिशुन खेड़ा स्थित है। पूरब दिशा में लगभग 50 मीटर की दूरी पर रामगंगा महाविद्यालय का नवीन भवन का निर्माण किया गया है। रामगंगा महाविद्यालय की स्थापना के संबंध में कार्यालय के पत्र सं0–526/एन–42/आर/2022–23 दिनांक 26.09.2022 द्वारा पत्र प्रेषित किया गया है।**

4. शिकायतकर्ता के अनुसार कोई भी ईंट भट्ठा लोक निर्माण विभाग की सड़क को 100 मीटर के भीतर स्थापित नहीं किया जाना चाहिए जबकि उक्त ईंट भट्ठा 100 मीटर के अन्दर ही स्थापित है। उपरोक्त के अनुक्रम में अवगत कराना है कि **तत्समय प्रचलित जिला पंचायत की गाईड लाईन की उपविधि के सं0–2(ब) के अनुसार सार्वजनिक, राष्ट्रीय तथा राजमार्ग के मध्य से 50 मीटर, अन्य मार्गों के मध्य से 25 मीटर के भीतर किसी भट्ठे का निर्माण नहीं किया जाएगा।**

5. शिकायतकर्ता के अनुसार कोई भी ईंट भट्ठा आम के बगीचे/मिश्रित फलों (आम और अन्य) बगीचों (जिसमें कम से कम 100 फलदार वृक्ष हों) के 800 मीटर (प्रत्येक दिशा में) के अन्दर स्थापित नहीं होना चाहिए जबकि इस दूरी के भीतर एक एकड़ से अधिक क्षेत्र में फलदार वृक्षों का बगीचा है जोकि रोड के बगल पूरे पाण्डेय वाया भोजपुर मार्ग है। उपरोक्त के अनुक्रम में अवगत कराना है कि गठित समिति द्वारा प्रेषित निरीक्षण आख्या के अनुसार **"ईंट भट्ठा के उत्तर दिशा में सड़क के दूसरी तरफ लगभग 30 आम, कटहल, सागौन, नीम आदि प्रजातियों के अन्य वृक्ष लगे हुए पाए गए। पश्चिम दिशा में लगभग 500 मीटर की दूरी पर कटहल आदि वृक्षों का मिश्रित बगीचा पाया गया। जिला पंचायत की उपविधि के सं0–2(स)(1) के अनुसार आम के बाग से पूर्व–पश्चिम दिशा में ईंट भट्ठों की दूरी 1.5 किमी0 से कम नहीं होना चाहिए। उत्तर–दक्षिण दिशा में यह दूरी 300 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए तथा उपविधि सं0–2(स)(2) उपरोक्त निर्धारित दूरी केवल उन आम देशी या कलमी बागों पर लागू होगी जिसका क्षेत्रफल अकेले अथवा कई बागों का संयुक्त रूप से 2.5 एकड़ से कम न हो। आम के बागों तथा उसकी पौधशालाओं (नर्सरी) में कोई अन्तर नहीं समझा जाएगा, जो एक दूसरे मिले हों।**

6. शिकायतकर्ता के अनुसार तत्कालिक धूल उत्सर्जन को रोकने के लिए 3 मीटर की ऊँचाई की एक दीवार का निर्माण किया जना चाहिए जबकि ऐसा नहीं किया गया है। उपरोक्त के अनुक्रम में अवगत कराना है कि **तत्समय प्रचलित जिला पंचायत की गाईड लाईन में दीवार के निर्माण के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 22 फरवरी 2022 द्वारा ईंट भट्ठों की स्थापना, संचालन**

- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.08.2022 के क्रम में इस कार्यालय के पत्र सं0–491/एन–8/जी/आर/2022–23 दिनांक 09.09.2022 **(छायाप्रति संलग्न)** के माध्यम से एवं जिलाधिकारी महोदया, रायबरेली के पत्र सं0–514/एन–8/जी/आर/2022–23 दिनांक 19.09.2022 **(छायाप्रति संलग्न)** के माध्यम से मै0 नारायण ब्रिक फील्ड, द्वारा श्री आकाश बाजपेई पुत्र श्री संतोष बाजपेई, ग्राम कोरवा, पो0–बिठुली, भोजपुर, तहसील लालगंज, जनपद रायबरेली को अपना पक्ष एक सप्ताह के अन्दर आख्या प्रस्तुत करने हेतु शिकायतकर्ता की शिकायत एवं गठित समिति की निरीक्षण आख्या की प्रति प्रेषित की गई, वर्तमान में आख्या अपेक्षित है।
- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.08.2022 के क्रम में एवं बोर्ड मुख्यालय द्वारा जारी बन्दी आदेश दिनांक 15.07.2021 का अनुपालन कराए जाने हेतु जिलाधिकारी महोदया, रायबरेली के पत्र सं0–522/एन–8/जी/आर/2022–23 दिनांक 22.09.2022 **(छायाप्रति संलग्न)** के माध्यम से उपजिलाधिकारी, लालगंज, रायबरेली को संचालन निषेधित होने का सत्यापन करने एवं लगातार सतर्क दृष्टि रखना सुनिश्चित किए जाने हेतु निर्देश जारी किए गए हैं।

उपरोक्त के दृष्टिगत ईंट भट्ठा जिला पंचायत की उपविधियों के अनुरूप वर्ष 1998–99 में स्थापित कर संचालित किया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा उ0प्र0 ईंट भट्ठा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली 2012 के नियमों के अन्तर्गत शिकायत की गई है। वर्तमान में ईंट भट्ठा बोर्ड द्वारा जारी बन्दी आदेश दिनांक 15.07.2021 के अनुपालन में बन्द है।

(मनीष त्रिपाठी) 28/9/22
वैज्ञानिक सहायक

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,

28/09/22

सं0 4/33 /219 -1 (91-92)　　　　दिनांक 21 अक्टूबर, 1992

विज्ञप्ति

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति जिला परिषद अधिनियम-1961 (अधिनियम संख्या-33-1961) की धारा-143 के साथ पठित धारा-239 (2) (5) (4) के अन्तर्गत अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला परिषद रायबरेली द्वारा अपने प्रबन्ध के अन्तर्गत जनपद-रायबरेली के ग्रामीण क्षेत्रों में ईंट भट्ठा, टायल्स, आवां, चूना तथा सुर्खी-भट्ठों आदि को नियंत्रित एवं नियमित करने के उद्देश्य से निम्न लिखित संशोधित उपविधियाँ बनाई गयी हैं। मैं एस0डी0 बागला, आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ इस संशोधन की पुष्टि उक्त अधिनियम के नियम-242 (2) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए करता हूँ। यह उपविधियाँ गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होंगी। उक्त उपविधि के गजट में प्रकाशन के साथ ही साथ विज्ञप्ति संख्या 5421/21ए-10(73-74) दिनांक 7-9-74 तथा 4554-45/21ए-39(81-82) दिनांक-14-7-83 द्वारा प्रकाशित एवं लागू उपविधियां स्वतः निरस्त समझी जायेंगी।

संशोधित उपविधियाँ:-

(1) कोई भी व्यक्ति, कम्पनी, पार्टनरशिप, फर्म या अन्य संस्था, राजकीय विभाग, राज्य सरकार द्वारा दिये गये ठेके के ठेकेदार या स्थानीय संस्थायें आदि जनपद-रायबरेली के ग्रामीण क्षेत्रों में ईंट भट्ठा, टाइल्स, आवां, चूना व सुर्खी आदि बिना जिला परिषद रायबरेली से लाइसेन्स प्राप्त किये न बनायेगा, न फूंकेगा और न बनवायेगा और न फुंकवायेगा।

(2) इन उपविधियों के अन्तर्गत दिया जाने वाला अनुज्ञा पत्र निम्नलिखित शर्तों पर दिया जायेगा।

(अ) आबादी, सार्वजनिक इमारत, अस्पताल, विद्यालय ऐसी इमारतें अथवा स्थान जो ज्वलनशील पदार्थ एकत्र करने के प्रयोग में लाये जाते हैं, से ईंट भट्ठा, टाइल्स अथवा आवां, चूना व सुर्खी 200 मीटर की दूरी के अन्दर न बनाया या फूंका जायेगा, न ही बनवाया या फुंकवाया जायेगा।

(ब) सार्वजनिक, राष्ट्रीय तथा राजमार्ग के मध्य से 50 मीटर, अन्य मार्गों के मध्य से 25 मीटर के भीतर किसी भट्ठे का निर्माण नहीं किया

जायेगा और न ईंट, टाइल्स, खपड़ा, चूना या सुर्खी आदि फूँका जायेगा और न ईंट तथा खपड़ा आदि एकत्रित किया जायेगा और न उसके बनाने व निर्माण करने या फूँकने का प्रयत्न किया जायेगा।

(ख) आम के बाग से पूर्व-पश्चिम दिशा में ईंटों के भट्ठों की दूरी 1.5
(1) कि०मी० से कम नहीं होनी चाहिये। उत्तर-दक्षिण में यह दूरी 300 मीटर से कम नहीं होनी चाहिये।

(ख) उपरोक्त निर्धारित दूरी केवल उन आम देशी या कलमी बागों पर लागू
(2) होगी, जिसका क्षेत्रफल अकेले अथवा कई बागों का संयुक्त रूप से ढाई एकड़ से कम न हो। आम के बागों तथा उसकी पौधशालाओं (नर्सरी) में कोई अन्तर नहीं समझा जायेगा जो एक दूसरे से मिले हों। मुख्य अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत जिला परिषद के कार्य अधिकारी लाइसेन्सिंग अधिकारी होंगे।

(3) इन उपविधियों के अन्तर्गत लाइसेन्स की अवधि प्रत्येक वर्ष 1 अक्टूबर से 30 सितम्बर तक होगी ।

(4) इन उपविधियों के किसी प्रकार के उल्लंघन पर लाइसेन्स अधिकारी को अनुज्ञा पत्र निरस्त करने, निलम्बित करने अथवा स्थगित करने का अधिकार होगा ।

(5) लाइसेन्सिंग अधिकारी के किसी आदेश के विरुद्ध 30 दिन के अन्दर अध्यक्ष जिला परिषद को अपील की जा सकती है, जिस पर निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।

(6) अनुज्ञा-पत्र का आवेदन निर्धारित रूप पत्र पर किया जायेगा, जो निर्धारित शुल्क जमा कर परिषद कार्यालय से प्राप्त किया जायेगा। इसका मूल्य नये भट्ठे हेतु 10/= रू० प्रति आवेदन पत्र तथा नवीनीकरण के लिए 5/= रू० प्रति आवेदन पत्र होगा ।

(7) अनुज्ञा-पत्र के आवेदन पत्र के साथ ईंटा, टाइल्स, चूना आदि के बनाने या फूँकने के स्थल का राजस्व अभिलेख जो 6 माह से पूर्व का न हो, प्रस्तुत करना होगा। यदि किसी दूसरे से स्थल लिया गया हो तो उसका इकरारनामा राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित नियमों के अन्तर्गत कराकर प्रस्तुत करना होगा ।

(8) शुल्क निम्नलिखित होगा:-

(अ) चिमनी ईंट भट्ठा	2,000-00 वार्षिक
(ब) बिना चिमनी के ईंट भट्ठा अनुज्ञा-शुल्क पत्र	100-00 वार्षिक
(स) टाइल्स अनुज्ञा-शुल्क	500-00 वार्षिक
(द) चूना या सुर्खी इंजन की शक्ति द्वारा बनाने या फूँकने का अनुज्ञा पत्र शुल्क	500-00 वार्षिक

§4§ चूना या सुर्खी-भेल चक्की द्वारा बनाने या फूकने का अनुज्ञा-शुल्क 100-00 वार्षिक

§9§ ईंट भट्ठा, चूना, सुर्खी, टाइल्स आदि बनाने के प्रारम्भिक कार्य करने के एक माह पूर्व आवेदन पत्र कार्यालय जिला परिषद-रायबरेली को दिया जायेगा। नवीनीकरण की दशा में यदि कार्य बराबर जारी रखना चाहते हैं तो पूर्व अनुज्ञा-पत्र की तिथि के समाप्त होने के कम से कम एक माह पूर्व आगामी वर्ष का अनुज्ञा-पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

§10§ कोई व्यक्ति, फर्म, कम्पनी आदि कोई ऐसी सूचना नहीं देंगे, जो असत्य हो या इन उपविधियों से सम्बन्धित कोई ऐसी सूचना जिनका अध्यक्ष, अपर मुख्य अधिकारी, कार्य अधिकारी, कर अधिकारी तथा जिला-परिषद का कोई अन्य कर्मचारी, जिनकी नियुक्ति इस कार्य के लिये की गई हो, मांगे तो देने से इन्कार नहीं करेंगे।

§11§ भट्ठे की ईंटों पर बनाने का वर्ष तथा भट्ठा या फर्म का नाम, उसका चिन्ह या ट्रेड मार्क अंकित करना अनिवार्य होगा।

§12§ ईंट भट्ठा, सुर्खी अड्डा, टाइल्स मालिक यदि लाइसेन्स अधिकारी के किसी आदेश का पालन न करे तो उसके विरुद्ध धारा-133 सी0आर0पी0सी0 के अधीन कार्यवाही जिला प्रशासन द्वारा की जायेगी।

§13§ 1, अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक नवीनीकरण करने पर 300/- रुपये का विलम्ब शुल्क जमा करना होगा। उसके उपरान्त लाइसेन्स न लेने पर भट्ठा मालिक के विरुद्ध चालान की कार्यवाही की जायेगी।

§14§ ये उपविधियां गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगी।

:दण्ड:-

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम-1961 की धारा-240 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला परिषद रायबरेली यह निर्देश देती है कि जो व्यक्ति इन उपविधियों का उल्लंघन करेगा वह अर्थ-दण्ड से दण्डनीय होगा, जो अंकन (250/= रु0 तक होगा और यदि ऐसा उल्लंघन जारी रहे तो अतिरिक्त अर्थ-दण्ड से दण्डित होगा जो प्रथम दोष सिद्ध के पश्चात ऐसे प्रत्येक दिन के लिये जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाय कि उसमें अपराधी अपराध करता रहा है, 10/=रु0 प्रति दिन तक अर्थ-दण्ड हो सकेगा अथवा अर्थ दण्ड का

भुगतान न किया जाये तो कारावास से दण्डित किया जायेगा, जो तीन मास तक हो सकेगा ।

(एस0डी0 बागला)
आयुक्त,
लखनऊ मण्डल, लखनऊ।

पृ0सं0 एवं दिनांक उपरोक्त–

1- प्रतिलिपि संशोधित उपविधियों की दो प्रतियों सहित अधीक्षक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 इलाहाबाद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह कृपया प्रश्नगत विज्ञप्ति को राजकीय गजट के अगले अंक में छापने तथा प्रकाशित गजट की दो प्रतियाँ इस कार्यालय एवं सम्बन्धित निकाय को भी भिजवाना सुनिश्चित करें।

2- प्रतिलिपि अध्यक्ष, जिला परिषद, रायबरेली को उनके पत्रांक 146/जि0प0रि0/92-93, दिनांक 19-9-92 के संदर्भ में सूचनार्थ ।

(एस0डी0 बागला)
आयुक्त,
लखनऊ मण्डल, लखनऊ।

फोटो प्रति प्रमाणित

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत-रायबरेली

क्रम-सं०—120

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०–
डब्लू०/एन०पी०–91/2011–13
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग—4, खण्ड (क)
(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बुधवार, 27 जून, 2012
आषाढ़ 6, 1934 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
पर्यावरण अनुभाग

संख्या 921/55–पर्या०/12–94(पर्या)-11
लखनऊ, 27 जून, 2012

अधिसूचना

सा०प०नि०–20

वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (अधिनियम संख्या 14, सन् 1981) की धारा 21 की उप धारा (1) और उक्त धारा की उप धारा 2 के खण्ड (य) के साथ पठित धारा 54 की उप धारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से परामर्श के पश्चात् तथा सम्बन्धित व्यक्तियों से प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश राज्य में नये ईंट भट्ठों की स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड विनियमित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तर प्रदेश ईंट भट्ठा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश ईंट भट्ठा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012 कही जाएगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

आवासीय क्षेत्र/जनसंख्या/संवेदनशील क्षेत्र/आम अथवा फलदार बागों से दूरी

2—उत्तर प्रदेश, फलदार वृक्षों का संवर्धन और संरक्षण (हानिप्रद अतिक्रमण और आवास योजना विनियमन) अधिनियम, 1985 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18, सन् 1985) के उपबन्धों के अधीन ऐसा कोई ईंट भट्ठा स्थापित नहीं किया जायेगा, जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा नहीं करता है:–

(एक) कोई ईंट भट्ठा किसी नगर परिषद अथवा नगर निगम के क्षेत्र से 5.0 किलोमीटर की दूरी के भीतर स्थापित नही किया जायेगा। उपरोक्त निर्बन्धनों के अध्यधीन आवासीय क्षेत्र से कम से कम 500 मीटर दूर स्थापित किया जायेगा, जिनकी न्यूनतम जनसंख्या 100–150 व्यक्तियों का हो अथवा 20 कच्चे या तो पक्के घर हो, किसी आवासीय क्षेत्र से 1.00 किलोमीटर दूर जिनकी जनसंख्या 150 व्यक्तियो अथवा 20 घरों से अधिक, चाहे कच्चे या पक्के हो, से अधिक हो।

(दो) कोई ईंट भट्ठा रजिस्टर्ड चिकित्सालय, स्कूल, सार्वजनिक इमारत, धार्मिक स्थानों अथवा किसी ऐसे स्थान जहां ज्वलनशील पदार्थों का भण्डारण किया जाता है, से 1 किलोमीटर की दूरी के भीतर किसी स्थान पर स्थापित नहीं किया जाएगा। कोई ईट भट्ठा प्राणी उद्यान, वन्य जीव अभयारण्यों, ऐतिहासिक इमारतें, म्यूजियम और इनके सादृश्य अधिसूचित संवेदनशील क्षेत्रों में 5.0 किलोमीटर की परिधि के भीतर स्थापित नहीं किया जायेगा,

परन्तु ताज ट्रैपेजियम जोन (टी0टी0जेड0) क्षेत्र के मामले में समय-समय पर उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देश/मार्गदर्शन लागू होंगे–

(तीन) कोई ईट भट्ठा रेलवे ट्रैक के किनारों से 200 मीटर की दूरी के भीतर स्थापित नहीं किया जायेगा;

(चार) कोई ईट भट्ठा राष्ट्रीय एवं राज्य राज मार्ग के दोनों किनारों से 300 मीटर दूरी के भीतर स्थापित नहीं किया जायेगा;

(पॉच) कोई ईट भट्ठा किसी मुख्य जिला सड़क/लोक निर्माण विभाग सड़कों के दोनों किनारों से 100 मीटर की दूरी के भीतर स्थापित नहीं किया जायेगा;

(छः) कोई ईट भट्ठा पहले से स्थापित किसी ईंट भट्ठा से 800 मीटर के भीतर स्थापित नहीं किया जायेगा;

(सात) किसी अधिसूचित फलपट्टी क्षेत्र के बफर जोन में कोई भट्ठा स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये, जैसा कि उत्तर प्रदेश फलदार वृक्षों का संवर्द्धन और संरक्षण (हानिप्रद अधिष्ठान और आवास योजना विनियमन) अधिनियम, 1985 में परिभाषित है, और संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिबन्धित किया गया है या वाद दर वाद, यदि कोई, में न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत किया गया हो।

आम के बगीचे/मिश्रित फलों (आम और अन्य) बगीचों (जिसमें कम से कम 100 फलदार वृक्ष हों) संयुक्त नर्सरी के किनारे से ईट भट्ठा से दूरियां प्रत्येक दशा में 800 मीटर से कम नहीं होगी। उल्लिखित दूरियां फल के प्रकार जिसका एकल अथवा सामूहिक क्षेत्रफल 2.5 एकड़ से कम न हो, से निरपेक्ष रूप से लागू होगी।

दूरी का मापन ईट भट्ठा की चिमनी से लेकर भट्ठा की ओर पड़ने वाली आम/फलदार बगीचे के वृक्षों की प्रथम/निकटतम पंक्ति तक किया जायेगा।

ईट भट्ठा की स्थापना हेतु अनुमति

3–ईट भट्ठा की फुकाई के सम्बन्ध में अथवा खनन पट्टा के लिए जिला पंचायत/सम्बन्धित जिला प्रशासन द्वारा कोई अनुज्ञप्ति तब तक नहीं प्रदान की जायेगी जब तक कि राज्य बोर्ड द्वारा जारी की गयी विधिमान्य पूर्व सहमति (अनापत्ति प्रमाण पत्र) ईट भट्ठा के स्वामी द्वारा प्राप्त न कर ली गयी हो।

उत्सर्जन मानक

4–भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय (एम0ओ0ई0एफ) द्वारा ईट भट्ठों के लिये यथा अधिसूचित उत्सर्जन-मानक और प्रदूषण नियंत्रण पद्धति जिसमें चिमनी की ऊंचाई सम्मिलित है, ईट भट्ठे के मामले मे पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली, 1986 के अधीन निर्गत अधिसूचना संख्या जी एस0 आर0 543 (ई) दिनांक 22 जुलाई, 2009 के अनुसूची I में क्रम संख्या [illegible] पर यथा अधिसूचित है लागू होंगे।

ईट भट्ठे में प्रयोग की जाने वाली सामग्रियां

5–इस नियमावली के अधीन स्थापित ईट भट्ठे में ईंधन के रूप में निम्नलिखित सामग्रियां प्रयोग की जा सकेंगी:

(क) स्थानीय कृषि औद्योगिक अपशिष्ट जैसे कपास का डण्ठल, सरसों का डण्ठल आदि को कोयले के स्थान पर आन्तरिक ईंधन के रूप में,

(ख) गैर परिसंकटमय अपशिष्ट जैसे–पत्थर, धूल, चावल की भूसी की राख, रेड मड आदि को ऊपरी मिट्टी में मिलाया जा सकेगा।

(ग) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986, जैसा लागू हो के अधीन जारी अधिसूचना के अनुपालन में ईंटों की पथाई मे फ्लाई ऐश

परन्तु स्पेण्ट आर्गेनिक, सॉल्वेंट तैलीय अवशेष, पेट कोक, फिल्टर प्रेश केक (परिसंकटमय अपशिष्ट) इत्यादि और अन्य अपशिष्ट यथा प्लास्टिक रबड़, चमड़ा आदि का ईट भट्ठा मे ईंधन के रूप मे प्रयोग नहीं किया जायेगा।

ईंट भट्ठे स्वत्वधारी के कर्त्तव्य

6–(1) ईंट भट्ठे की परिधि के किनारे, सामग्री और वाहनों के प्रवेश और निकास के लिए चहारदीवारी मे दो 10 मीटर की चौड़ी जगह छोड़ते हुए बहुसतही और बहुमंजिला 10 मीटर चौडी हरित पट्टी का निर्माण किया जायेगा। तात्कालिक धूल उत्सर्जन रोकने के लिए 3 मीटर की ऊचाई की एक दीवार का निर्माण किनारों पर किया जायेगा जहां हरित पेटी विकास के लिए भूमि उपलब्ध न हो। हरित पेटी विकास के साथ ईट भट्ठा लगाने के लिए अपेक्षित न्यूनतम क्षेत्रफल 2.0 एकड है।

(2) तड़ित हमले के कारण भट्ठे/चिमनी की क्षति को बचाने के लिए लोक निर्माण विभाग के मानकों अथवा किसी अन्य अभिकल्पना मानक के अनुसार तड़ित अवरोधक ईट भट्ठा के लिए स्थापित किया जायेगा।

(3) ईट भट्ठा मे उपरोक्त के अतिरिक्त समुचित रख–रखाव प्रक्रिया जिसमें कोयले की राख का निस्तारण, भट्ठा के चारों ओर दोहरी दीवार, समुचित लेआउट, ईटों द्वारा मार्ग आच्छादन, उचित ग्रेड के कोयले का प्रयोग, समुचित फायरिंग प्रक्रिया, ध्वनि प्रदूषण से सुरक्षा तथा अन्य उपाय सम्मिलित है, ईट भट्ठे के स्वामियों द्वारा अपनायी जानी चाहिये।

(4) ईटों की पथाई के लिये एतदर्थ चिन्हित क्षेत्र में मिट्टी की खुदाई करते समय भूमि की खड़ी कटाई न की जाय अपितु ढालदार रीति में 1:3 के अनुपात में की जानी चाहिये जिससे कि कृषि भूमि का क्षरण न्यूनतम हो।

ईंट भट्ठा की प्रचालन हेतु अनुमति

7–कोई व्यक्ति जो कि ईट भट्ठा का प्रचालन करना चाहता है, वह ईट भट्ठे के प्रचालन हेतु अनुमति के लिये उत्तर प्रदेश वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) नियम, 1983 और उत्तर प्रदेश जल (मल और व्यवसायिक बहि:स्राव निस्तारण के लिस सहमति) नियमावली, 1981 के अधीन जिला प्रशासन से खनन पट्टा, जिला पंचायत/जिला परिषद से फुंकाई की अनुमति और उद्यान विभाग से, यथास्थिति, अनापत्ति प्रमाण पत्र/अनुज्ञप्ति प्रस्तुत करते हुए निर्धारित फीस के साथ राज्य बोर्ड को अलग से आवेदन करेगा। ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर राज्य बोर्ड उपर्युक्त नियमावलियों के अधीन यथा विहित आवश्यक जांच के उपरान्त ऐसी अनुमति को अस्वीकृत कर सकता है:

परन्तु यह कि, कोई ईट भट्ठा, जो पूर्व में स्थापित/प्रचालन में था किन्तु विगत सत्र में प्रचालन में नहीं था, प्रचालन करना या नाम/स्वामित्व परिवर्तन करना चाहता है और उसके पास वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 और जल (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 के अधीन विधिमान्य अनुमति है, उसे प्रचालित कर सकता है यदि वह लिखित में राज्य बोर्ड को सूचित करता है किन्तु वह सभी शर्तों का अनुपालन करने के लिये बाध्य होगा जिनके अध्यधीन अनुमति प्रदान की गई थी।

आज्ञा से,
राजेश कुमार सिंह,
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of the constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 921/55-पर्या/12–94 (पर्या)-11, dated June 27, 2012.

No. 921/55-पर्या/12–94 (पर्या)-2011
Dated Lucknow, June 27, 2012

In exercise of the powers under sub-section (1) of section 54 *read* with clause (z) of sub-section (2) of the said section and sub-section (1) of section 21 of the Air (Prevention and Control of Pollution)

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22022022-233662
CG-DL-E-22022022-233662

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 140] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 22, 2022/फाल्गुन 3, 1943
No. 140] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 22, 2022/PHALGUNA 3, 1943

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 2022

सा.का.नि. 143(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 का और संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है:, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 2022 है।

(2) वे राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 में, अनुसूची-I में, क्रम सं. 74 पर प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को रखा जाएगा, अर्थात्: -

74"	ईंट भट्टे	चिमनी से उत्सर्जन में विविक्त पदार्थ	250 मिलीग्राम/एनएम3
		चिमनी की न्यूनतम ऊंचाई (भट्टों की वर्टिकल साफ्ट) - भट्टा क्षमता 30,000 ईंट प्रतिदिन से कम - भट्टा क्षमता 30,000 ईंट प्रति दिन के बराबर या अधिक	14 मीटर (लोडिंग प्लेटफॉर्म से कम से कम 7.5 मीटर) 16 मीटर (लोडिंग प्लेटफॉर्म से कम से कम 8.5 मीटर)

		चिमनी की न्यूनतम ऊंचाई (भट्टों की वर्टिकल साफ्ट के अलावा)	
		- भट्टा क्षमता 30,000 ईंट प्रतिदिन से कम	24 मीटर
		- भट्टा क्षमता 30,000 ईंट प्रति दिन के बराबर या अधिक	27 मीटर

टिप्पणियां :

1. सभी नए ईंट भट्टों को केवल ज़िग-ज़ैग तकनीक या वर्टिकल शाफ्ट के साथ होने की या ईंट बनाने में ईंधन के रूप में पाइप्ड प्राकृतिक गैस के उपयोग की अनुमति दी जाएगी और इस अधिसूचना में निर्धारित मानकों का पालन करना होगा।

2. विद्यमान ईंट भट्टे जो ज़िग-ज़ैग तकनीक या वर्टिकल शाफ्ट या ईंट बनाने में ईंधन के रूप में पाइप्ड प्राकृतिक गैस (पीएनजी) के उपयोग का पालन नहीं कर रहे हैं, उन्हें (क) गैर-प्राप्ति शहरों के 10 किमी के दायरे में स्थित भट्टों के मामले में एक वर्ष (जैसा कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा यथापरिभाषित) (ख) अन्य क्षेत्रों के लिए दो वर्ष की अवधि के भीतर ज़िग-ज़ैग तकनीक या वर्टिकल शाफ्ट में परिवर्तित किया जाएगा या पीएनजी का उपयोग ईंट बनाने में ईंधन के रूप में किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, ऐसे मामलों में जहां केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समितियां ने रूपांतरण के लिए अलग से समय-सीमाएं निर्धारित की हैं, वहां ऐसे आदेश प्रभावी होंगे।

3. सभी ईंट भट्टे केवल अनुमोदित ईंधन जैसे कि पाइप्ड प्राकृतिक गैस, कोयला, ईंधन लकड़ी और/या कृषि अपशिष्टों का उपयोग करेंगे। पेट कोक, टायरों/प्लास्टिक/ख़तरनाक अपशिष्टों के उपयोग की अनुमति ईंट भट्टों को नहीं दी जाएगी।

4. उत्सर्जन की निगरानी के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मापदंडों/रूपरेखा के अनुसार ईंट-भट्टे स्थायी सुविधा (पोर्ट होल और प्लेटफार्म) का निर्माण करेंगे।

5. विविक्त सामग्रियों (पीएम) के निष्कर्ष 4% CO_2 पर प्रसामान्य किए जाएंगे जो निम्नलिखित हैं:

   पीएम (सामान्य) = (पीएम(मापित) X 4%)/ (चिमनी में मापित CO_2 का %, मापित CO_2 के मामले में ≥ 4% कोई प्रसामान्यीकरण नहीं। चिमनी की ऊँचाई (मीटर में) भी $H= 14 Q^{0.3}$ सूत्र (जहां Q kg/hr में SO_2 उत्सर्जन दर है) द्वारा परिकलित की जाएगी, और अधिकतम दो को काम में ले सकेंगे।

6. ईंट भट्टों को आवासों और फलों के बागों से 0.8 कि.मी. की न्यूनतम दूरी पर स्थापित किया जाना चाहिए। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समितियां आवास, जनसंख्या घनत्व, जल निकायों, संवेदनशील रिसेप्टर्स इत्यादि की निकटता का ध्यान रखते हुए स्थापित मापदंडों को सख्त बना सकते हैं।

7. किसी क्षेत्र में भट्टों की अधिक संख्या से बचने के लिए मौजूदा ईंट भट्टों से कम से कम एक किलोमीटर की दूरी पर ईंट भट्टों को स्थापित किया जाना चाहिए।

8. ईंट भट्टों को संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समितियां द्वारा निर्धारित उत्सर्जन प्रक्रिया/पलायक धूल उत्सर्जन नियंत्रण दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा।

9. ईंट भट्टों से निकलने वाली राख को ईंट बनाने में उसी परिसर के अंदर ही इस्तेमाल किया जाएगा।

10. ईंट भट्टे में ईंट बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली मिट्टी को निकालने के लिए संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के खनन विभाग सहित संबंधित प्राधिकरणों से सभी आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किए जाएंगे।

11. ईंट भट्टा मालिक यह सुनिश्चित करेंगे कि कच्चे माल/ईंटों के परिवहन के लिए उपयोग की जाने वाली सड़के पक्की सड़कें हैं।

12. कच्चे माल/ईंटों के परिवहन के दौरान वाहनों को ढका जाएगा।"

[फा. सं. क्यू-15017/35/2007-सीपीडब्ल्यू]

नरेश पाल गंगवार, अपर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में तारीख 19 नवंबर, 1986 के का.आ. 844 (अ) द्वारा प्रकाशित किए गए थे और 04 अक्तूबर, 2021 की अधिसूचना सा.का.नि. 724 (अ) द्वारा अंतिम बार संशोधित किए थे।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd February, 2022

G.S.R. 143(E).—In exercise of the powers conferred by sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986, namely:—

1. Short Title and commencement: -

(1) These rules may be called the Environment (Protection) Amendment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Environment (Protection) Rules, 1986, in the SCHEDULE-I, for entry at Sl. No. 74, the following entry shall be substituted, namely: -

"74	**Brick Kilns**	Particulate matter in stack emission	250 mg/Nm^3
		Minimum stack height (Vertical Shaft Brick Kilns)	
		- Kiln capacity less than 30,000 bricks per day	14 m (at least 7.5m from loading platform)
		- Kiln capacity equal or more than 30,000 bricks per day	16 m (at least 8.5m from loading platform)
		Minimum stack height (Other than Vertical Shaft Brick Kilns)	
		- Kiln capacity less than 30,000 bricks per day	24 m
		- Kiln capacity equal or more than 30,000 bricks per day	27 m

Notes :

1. All new brick kilns shall be allowed only with zig-zag technology or vertical shaft or use of Piped Natural Gas as fuel in brick making and shall comply to these standards as stipulated in this notification.
2. The existing brick kilns which are not following zig-zag technology or vertical shaft or use Piped Natural Gas as fuel in brick making shall be converted to zig-zag technology or vertical shaft or use Piped Natural Gas as fuel in brick making within a period of (a) one year in case of kilns located within ten kilometre radius of non-attainment cities as defined by Central Pollution Control Board (b) two years for other areas. Further, in cases where Central Pollution Control Board/State Pollution Control Boards/Pollution Control Committees has separately laid down timelines for conversion, such orders shall prevail.
3. All brick kilns shall use only approved fuel such as Piped Natural Gas, coal, fire wood and/or agricultural residues. Use of pet coke, tyres, plastic, hazardous waste shall not be allowed in brick kilns.
4. Brick kilns shall construct permanent facility (port hole and platform) as per the norms or design laid down by the Central Pollution Control Board for monitoring of emissions.
5. Particulate Matter (PM) results shall be normalized at 4% CO_2 as below:

PM (normalized) = (PM (measured)x 4%)/ (% of CO_2 measured in stack), no normalization in case CO_2 measured $\geq$ 4%. Stack height (in metre) shall also be calculated by formula $H=14Q^{0.3}$ (where Q is SO_2 emission rate in kg/hr), and the maximum of two shall apply.

6. Brick kilns should be established at a minimum distance of 0.8 kilometre from habitation and fruit orchards. State Pollution Control Boards/Pollution Control Committees may make siting criteria stringent considering proximity to habitation, population density, water bodies, sensitive receptors, etc.

7. Brick kilns should be established at a minimum distance of one kilometre from an existing brick kiln to avoid clustering of kilns in an area.

8. Brick kilns shall follow process emission/fugitive dust emission control guidelines as prescribed by concerned State Pollution Control Boards/Pollution Control Committees.

9. The ash generated in the brick kilns shall be fully utilized in-house in brick making.

10. All necessary approvals from the concerned authorities including mining department of the concerned State or Union Territory shall be obtained for extracting the soil to be used for brick making in the brick kiln.

11. The brick kiln owners shall ensure that the road utilized for transporting raw materials or bricks are paved roads.

12. Vehicles shall be covered during transportation of raw material/bricks".

[F. No. Q-15017/35/2007-CPW]

NARESH PAL GANGAWAR, Addl. Secy.

Note : The principle rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number S.O. 844(E), dated the 19th November, 1986 and lastly amended *vide* number G.S.R. 724(E), dated the 04th October, 2021.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR

क्षेत्रीय कार्यालय,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
सी–ब्लाक, इन्दिरा नगर, आवास विकास कालोनी,
रायबरेली–229001 (उ0प्र0)

पत्रांक– 526/N-42/R/2022-23 दिनांक– 26/9/22

सेवा में,

प्रबन्धक,
रामगंगा महाविद्यालय,
ग्राम–कोरवा, पो0–बिठूली, भोजपुर,
तह0–लालगंज, जनपद–रायबरेली।

विषय–पूर्व से संचालित ईंट भट्ठे के समीप महाविद्यालय का निर्माण किए जाने के सम्बन्ध में

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अवगत हों कि आप द्वारा रामगंगा महा विद्यालय, ग्राम–कोरवा, पो0–बिठूली, भोजपुर, तह0–लालगंज, जनपद–रायबरेली का निर्माण कार्य पूर्व में स्थापित/संचालित मैसर्स नारायण ईट उद्योग, ग्राम–कोरवा, पो0–बिठूली, भोजपुर, तह0–लालगंज, जनपद–रायबरेली से लगभग 50 मीटर की दूरी पर किया जा रहा है। उक्त विद्यालय भवन के निर्माण हेतु इस कार्यालय से आप द्वारा अनापत्ति/सहमति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया न ही कोई सूचना इस कार्यालय में प्रेषित की गयी है। ईंट उद्योग के समीप महाविद्यालय के निर्माण से ईट उद्योग के संचालन के समय विद्यालय में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं व शिक्षकों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना सम्भावित है।

अवगत हों कि आपके नवनिर्मित महा विद्यालय के समीप पूर्व से ही मैसर्स नारायण ईंट उद्योग स्थापित है, जिसकी स्थापना कार्यालय अभिलेखानुसार वर्ष–1998–99 में की गयी थी। ईंट उद्योग के विरूद्ध वर्तमान में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में वाद ओ0ए0 संख्या–350/2022 योजित है। ईंट उद्योग की स्थापना के समय प्रचलित जिला पंचायत की उपविधियों के अनुसार आबादी, सार्वजनिक इमारत, विद्यालय, अस्पताल आदि से 200 मीटर की दूरी के अन्दर ईंट भट्ठे की स्थापना व संचालन किया जाना निषेधित है तथा वर्तमान में प्रभावी नियमावली के अनुसार कोई ईंट भट्ठा रजिस्टर्ड चिकित्सालय, स्कूल, सार्वजनिक इमारत आदि से एक किलोमीटर की दूरी पर स्थापित नहीं किया जा सकता है। ईंट भट्ठे के समीप विद्यालय के निर्माण से ईंट भट्ठे के विरूद्ध मा0 अधिकरण में योजित याचिका में ईंट भट्ठे के साथ–साथ आपके विरूद्ध भी प्रतिकूल स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। उक्त के सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि ईंट उद्योग के समीप महाविद्यालय का निर्माण किन परिस्थितियों में तथा किन–किन विभागों की अनुमति के आधार पर किया गया के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण पत्र प्राप्ति के 03 दिन के अन्दर इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। जिससे मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा सके।

भवदीय

(प्रदीप कुमार विश्वकर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी 24/09/22

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदया, जनपद–रायबरेली।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–5), उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), जनपद–रायबरेली।
4. उप जिलाधिकारी, तह0–लालगंज, जनपद–रायबरेली।

क्षेत्रीय अधिकारी 24/09/22

OK 24/9/22

क्षेत्रीय कार्यालय,

उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

सी–ब्लाक, इन्दिरा नगर, आवास विकास कालोनी,
रायबरेली–229001 (उ0प्र0)

पत्रांक– 488/H-42/R/2022-23 दिनांक– 07.9.2022

सेवा में,

मै0 नारायण ब्रिक फील्ड,
द्वारा श्री आकाश बाजपेई पुत्र श्री संतोष बाजपेई,
ग्राम कोरवा, पो0–बिठूली, भोजपुर,
तहसील–लालगंज, रायबरेली।

विषय–ईंट भट्ठे के विरूद्ध मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–350/2022 महेश कुमार बनाम स्टेट आफ यू0पी0 में दिनांक 19.05.2022 को पारित आदेश के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करें। आपके ईंट भट्ठे के विरूद्ध मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–350/2022 महेश कुमार बनाम स्टेट आफ यू0पी0 में दिनांक 19.05.2022 में पारित आदेश के अनुक्रम में अवगत कराना है कि ईंट भट्ठे की स्थापना व संचालन के संबंध में पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 22 फरवरी 2022 को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 (1986 का 29) की धारा–6 एवं धारा–25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 का और संशोधन करते हुए ईंट भट्ठों की स्थापना/संचालन/विद्यमान ईंट भट्ठों के संबंध में निम्न निर्देश जारी किए गए हैं:–

1. विद्यमान ईंट भट्ठे जो जिग–जैग तकनीक या वर्टिकल शाफ्ट या ईंट बनाने में ईंधन के रूप में पाइप्ड प्राकृतिक गैस (पीएनजी) के उपयोग का पालन नहीं कर रहें है, उन्हें (क) गैर–प्राप्ति शहरों के 10 किमी के दायरे में स्थित भट्ठों के मामले में एक वर्ष (जैसा कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा यथापरिभाषित) (ख) अन्य क्षेत्रों के लिए दो वर्ष की अवधि के भीतर जिग–जैग तकनीक या वर्टिकल शाफ्ट में परिवर्तित किया जाएगा या पीएनजी का उपयोग ईंट बनाने में ईंधन के रूप में किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, ऐसे मामलों में जहाँ केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/राज्य प्रदूषण नियंत्रण समितियाँ ने रूपान्तरण के लिए अलग से समय–सीमाएँ निर्धारित की हैं, वहाँ ऐसे आदेश प्रभावी होंगे।
2. सभी ईंट भट्ठे केवल अनुमोदित ईंधन जैसे की पाइप्ड प्राकृतिक गैस, कोयला, ईंधन लकड़ी और/या कृषि अपशिष्टों का उपयोग करेंगे। पेट कोक, टायरों/प्लास्टिक/खतरनाक अपशिष्टों के उपयोग की अनुमति ईंट भट्ठों को नहीं दी जाएगी।

3. उत्सर्जन की निगरानी के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मापदण्डों/रूपरेखा के अनुसार ईंट भट्ठे के स्थायी सुविधा (पोर्ट होल और प्लेटफार्म) का निर्माण करेंगे।
4. ईंट भट्ठों को संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समितियॉ द्वारा निर्धारित उत्सर्जन प्रकिया/पलायक धूल उत्सर्जन नियंत्रण दिशा–निर्देशों का पालन करना होगा।
5. ईंट भट्ठों से निकलने वाली राख को ईंट बनाने में उसी परिसर के अन्दर ही इस्तेमाल किया जाएगा।
6. ईंट भट्ठे में ईंट बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली मिट्टी को निकालने के लिए संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के खनन विभाग सहित संबंधित प्राधिकरणों से सभी आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किए जाएगें।
7. ईंट भट्ठा मालिक यह सुनिश्चित करेंगे कि कच्चे माल/ईंटों के परिवहन के लिए उपयोग की जाने वाली सड़के पक्की सड़के हैं।
8. कच्चे माल/ईंटों के परिवहन के दौरान वाहनों को ढका जाएगा।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित निर्देशों के संबंध में बिन्दुवार अनुपालन आख्या **एक सप्ताह** के अन्दर इस कार्यालय में प्रेषित करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की दशा में आपके विरूद्ध किसी भी कृत कार्यवाही हेतु आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

भवदीय

(प्रदीप कुमार विश्वकर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
1. सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी महोदया, जनपद रायबरेली।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–5) उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
4. मुख्य विधि अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी

पत्रांक 760/3-5-211 / एम एस कैम्प/2020
दिनांक....12/05/2020

संख्या- 446/81-7-2020-39(पर्या)/2014 टी0सी0-1

प्रेषक,

संजय सिंह,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उ0प्र0 शासन।

2- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनु0-7 लखनऊ: दिनांक: 01 मई, 2020

विषय--पर्यावरणीय अनापत्ति की अनिवार्यता में छूट के निर्णय के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत ई0आई0ए0 अधिसूचना 2006 (यथासंशोधित) सपठित अधिसूचना सं0-1224 (अ) दिनांक 28-03-2020 के परिशिष्ट--9 में निम्न क्रियाकलापों को पूर्व पर्यावरणीय सहमति की अपेक्षा से छूट प्रदान की गई हैं :-

1. मैनुअल खनन द्वारा साधारण मिट्टी या बालू की कुम्हारों द्वारा मिट्टी के घड़े,लैम्प, खिलौने,आदि बनाने के लिए उनकी प्रथाओं के अनुसार निकासी।
2. मैनुअल खनन द्वारा मिट्टी की टाइलें बनाने द्वारा जो मिट्टी की टाइलें बनाते हैं, के लिए साधारण मिट्टी या बालू की निकासी।
3. किसानों द्वारा बाढ़ के पश्चात् कृषि भूमि से बालू के जमाव को हटाना।
4. ग्राम पंचायत में अवस्थित स्रोतों से बालू और साधारण मिट्टी को वैयक्तिक उपयोग या ग्राम में समुदाय कार्य के लिए प्रथा के अनुसार खनन।
5. सामुदायिक कार्य जैसे ग्रामीण तालाबों या टैंकों से गाद हटाना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार और गारंटी स्कीमों, अन्य सरकारी स्कीमों, प्रायोजित तथा सामुदायिक प्रयासों द्वारा ग्रामीण सड़कों, तालाबों या बांधों का संनिमार्ण।
6. सड़क, पाइपलाइन, आदि जैसे रेखीय परियोजनाओं के लिए साधारण मिट्टी की निकासी, निष्कासन या प्रयोग करना।
7. बांधों,तालाबों, मेड़ों, बैराजों, नदी और नहरों की उनके अनुरक्षित तथा आपदा प्रबंधन के प्रयोजन के लिए तलमार्जन और गाद निकालना।
8. गुजरात में गुजरात सरकार की तारीख 14 फरवरी, 1990 की अधिसूचना सं0-जीयू/90(16)/एमसीआर-2189(68)/5-सीएचएच द्वारा बंजारा और ओड द्वारा बालू के परंपरिक उपजीविका कार्य।
9. परंपरिक समुदाय द्वारा अंतर ज्वारीय क्षेत्र के भीतर चूने के गोलों (मृत भू- पटल), पवित्र स्थानों, आदि के मैनुअल निकासी।
10. सिंचाई या पेयजल के लिए कुओं की खुदाई।
11. यथास्थिति, ऐसे भवनों की नींव के लिए खुदाई जिनके लिए पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति अपेक्षित नहीं है।

C-6 (Model Mining)
12/05/2020
EE
14/5/20

12. जिला कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी के आदेश पर किसी नहर, नाला, ड्रेन, जल निकाय, आदि में होने वाली दरार को भरने के लिए साधारण मिटटी या बालू का उत्खनन ताकि किसी आपदा या बाढ़ जैसी स्थिति से निपटा जा सके।
13. "ऐसे कियाकलाप, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा विधान या नियमों के अधीन गैर खननकारी कियाकलाप के रूप में घोषित किया गया है।"

2– भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग,उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत अधिसूचना सं0–3204/86–2014–278–2011 दिनांक 22–10–2014 (उ0प्र0 उप खनिज परिहार नियमावली 37वॉ संशोधन 2014) में किये गये प्राविधानों के अधीन यह उल्लेख किया गया है कि:–

"ईट एवं मिटटी के बर्तन बनाने हेतु हस्तसंचालन से खुदाई द्वारा अथवा हस्तसंचालन से साधारण मृदा, समान्य मिट्टी को निकालने की किया, खनन संकियाओं के अर्न्तगत नहीं आएगी, प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी खुदाई अथवा खनन के फलस्वरूप उत्पन्न गड्डों की गहराई 02 मीटर से अधिक नहीं होगी"

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत उपरोक्त ई0आई0ए0 अधिसूचना दिनांक 28–3–2020 में उल्लिखित कियाकलापों में छूट के अन्तर्गत उ0प्र0 उप खनिज परिहार नियमावली (37वॉ संशोधन) 2014 के प्राविधानों के अनुसार ईंट बनाने हेतु हस्तचालित विधि से 02 मीटर की गहराई तक साधारण मृदा/सामान्य मिट्टी की खुदाई के लिये पूर्व पर्यावरणीय सहमति की आवश्यकता नहीं होगी।

3– अतः पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत उक्त अधिसूचना दिनांक–28.03.2020 का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

(संजय सिंह)
सचिव।

संख्या–446(1)/81–7–2020–39(पर्या)/2014 टी0सी0–1, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. निदेशक, पर्यावरण, उ0प्र0, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(भारत प्रसाद)
अनु सचिव।

क्षेत्रीय कार्यालय,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
सी–ब्लाक, इन्दिरा नगर, आवास विकास कालोनी,
रायबरेली–229001 (उ0प्र0)

पत्रांक– 492/N-8/G/R/2022-23 दिनांक– 09.9.2022

अति महत्वपूर्ण,
मा0 न्यायालय प्रकरण,

सेवा में,

1. उपायुक्त राज्य कर (खण्ड–2), जनपद–रायबरेली।
2. जिला खान अधिकारी, जिला खनिज कार्यालय, कलेक्ट्रेट, जनपद–रायबरेली।
3. जिला पंचायत अधिकारी, जनपद–रायबरेली।

विषय– मैसर्स नारायण ब्रिक फील्ड, ग्राम–कोरवा, पो0–बिठूली, भोजपुर, तह0–लालगंज, जनपद–रायबरेली के विरूद्ध मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित वाद ओ0ए0 संख्या–350/2022 महेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 के सम्बन्ध में।

महोदया,

कृपया उपरोक्त विषय का सन्दर्भ करने का कष्ट करें। अवगत हों कि सन्दर्भित ईंट उद्योग के विरूद्ध मानकों के विपरीत स्थापना/संचालन के दृष्टिगत मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में ओ0ए0 संख्या–350/2022 महेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 के माध्यम से वाद योजित है। इस कार्यालय के अभिलेखानुसार उक्त ईंट उद्योग को पूर्व में दिनांक–31.12.2014 तक की अवधि हेतु ही संचालन हेतु सहमति निर्गत की गयी थी। तत्पश्चात ईंट उद्योग द्वारा इस कार्यालय से सहमति प्राप्त नहीं की गयी। ईंट उद्योग को बोर्ड मुख्यालय के पत्र दिनांक–15.07.2021 के माध्यम से बन्दी आदेश भी निर्गत है। इस कार्यालय द्वारा दिनांक–28.05.2022 एवं दिनांक–18.06.2022 को किए गए निरीक्षण के दौरान ईंट भट्ठा संचालन (फुँकाई) में नहीं पाया गया।

तत्सम्बन्ध में आपसे अनुरोध है कि अपने कार्यालय के अभिलेखानुसार वर्ष–2015 से 2022 के मध्य ईंट भट्ठा मैसर्स नारायण ब्रिक फील्ड, ग्राम–कोरवा, पो0–बिठूली, भोजपुर, तह0–लालगंज, जनपद–रायबरेली के संचालन के सम्बन्ध में स्थिति 03 दिनों के अन्दर स्पष्ट करने का कष्ट करें। जिससे ईंट भट्ठे के विरूद्ध इस कार्यालय स्तर से नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली को अवगत कराया जा सके।

भवदीय

(प्रदीप कुमार विश्वकर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी
09/09/22

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदया, जनपद–रायबरेली।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–5), उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), जनपद–रायबरेली।
4. मुख्य विधि अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी
09/09/22
o/c

23/9/22

प्रेषक,

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, रायबरेली।

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
रायबरेली।

पत्रांक– /जि0पं0/2022–23 दिनांक –

विषय–मेसर्स नारायण ब्रिक फील्ड, ग्राम कोरवा पो0 बिढूल भोजपुर तहसील लालगंज जनपद रायबरेली के विरूद्ध मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित वाद ओ0ए0 संख्या–350/2022 महेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक पत्र सं0 421/एन0–8/जी0/आर0/2022–23 दिनांक 09.09.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मे0 नारायण ब्रिक फील्ड ग्राम कारेवा पो0 बिढूल भोजपुर तह0 लालगंज जनपद रायबरेली को क्षेत्रीय कर्मचारी द्वारा दिये गये आख्या के अनुसार वर्ष 2015–16, 2016–17, 2017–18, 2018–19 तक अनुज्ञा पत्र जारी किया गया है तथा 2019–20, 2020–21 व 2021–22 में कार्यालय द्वारा कोई भी अनुज्ञा पत्र जारी नही किया गया है। तदनुसार उपरोक्त आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, रायबरेली

पृ0सं0– 161(1) /जि0पं0/2022–23 तद्दिनांक 20–09–2022

प्रतिलिपि –1. जिलाधिकारी महोदया रायबरेली की सेवा में सादर अवलोकनार्थ।
2. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) रायबरेली।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, रायबरेली

1407

R.O. (प्रदूषण)

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)

21-09-22

24/09/22

23/9/22

प्रेषक,

उपायुक्त राज्य कर,
खण्ड -2, रायबरेली।

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
सी-ब्लाक इन्दिरा नगर आवास विकास कालोनी
रायबरेली।

पत्रांक 95 /कार्य0उपा0/रा0क0/खण्ड-2/ रायबरेली/सूचना/:: दिनांक 16/09/2022

महोदय,

कृपया आपके कार्यालय के पत्रांक 492 / दिनांक 09/09/2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे जिसके द्वारा इस कार्यालय क्षेत्र की फर्म सर्वश्री नारायण बिक्री फील्ड ग्राम कोरवा पो0 बिठूली, भोजपुर तहसील लालगंज, रायबरेली के विरूध्द मो0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित वाद ओ0ए0 संख्या 350/2022 महेश कुमार बनाम स्टेट आफ यू0पी0 के सम्बन्ध में उक्त् फर्म के द्वारा वर्ष 2015 से 2022 के मध्य ईट भट्ठा के संचालन के सम्बन्ध में स्थिति से अवगत कराने की अपेक्षा की गयी है।

उपरोक्त संदर्भ में उक्त् फर्म सर्वश्री नारायण बिक्री फील्ड ग्राम कोरवा पो0 बिठूली, भोजपुर तहसील लालगंज, रायबरेली टिन नं0 09752501177 फर्म स्वामी श्री संतोष कुमार बाजपेयी पुत्र राम दत्त बाजपेयी के द्वारा विभागीय पोर्टल पर जॉच पर पाया गया कि व्यापारी द्वारा भट्ठा का संचालन भट्ठा समाधान वर्ष 2012-13 (दिनांक 01/10/2012 से 30/09/2013) तक ही किया गया है, इसके बाद इनके द्वारा उक्त् भट्ठा से सम्बन्धित कोई निर्माण, खरीद-बिक्री कर कार्य प्रदर्शित नही किया गया है। सूचना उक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय

(एस0एम0पाण्डेय)
उपायुक्त राज्य कर, खण्ड -2,
रायबरेली।

24/9/22

प्रतिलिपि पत्र संख्या / /दिनाक उक्त।

1- जिलाधिकारी महोदया जनपद रायबरेली की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2- अपर जिलाधिकारी(प्र0)जनपद रायबरेली की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित। (प्रशासन)

1408 R.O. (प्रदूषण)

उपायुक्त राज्य कर, खण्ड -2,
रायबरेली।

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)
रायबरेली

22.09.22

क्षेत्रीय कार्यालय,

उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

सी–ब्लाक, इन्दिरा नगर, आवास विकास कालोनी,
रायबरेली–229001 (उ0प्र0)

पत्रांक– 491/N-8/G/R/2022-23 दिनांक– 09-9-2022

सेवा में,

मैसर्स नारायण ब्रिक फील्ड,
द्वारा श्री आकाश बाजपेई पुत्र श्री संतोष बाजपेई,
ग्राम–कोरवा, पो0–बिठूली, भोजपुर,
तह0–लालगंज, जनपद– रायबरेली।

विषय– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित वाद ओ0ए0 संख्या–350/2022 महेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में दिनांक–16.08.2022 के सम्बन्ध में।

महोदया,

कृपया उपरोक्त विषय का सन्दर्भ करने का कष्ट करें। अवगत हों कि आपके ईंट उद्योग के विरूद्ध मानकों के विपरीत स्थापना/संचालन के दृष्टिगत मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में ओ0ए0 संख्या–350/2022 महेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 के माध्यम से योजित वाद में मा0 अधिकरण द्वारा दिनांक–16.08.2022 को पारित आदेश जिसके सुसंगत अंश निम्नवत हैं–

".....Notice alongwith copies of the application and report of the Joint Committee be issued to the Project Proponent- Narayan Brick kiln through Akash Bajpayee son of Santosh Bajpayee, village Korba Block and Police Station Sareni, Tehsil Lalganj, District Rae Bareli, Uttar Pradesh, State PCB and District Magistrate, Rae Bareli requiring them to file their response/reply to the allegations made in the application/observations made in the report of the Joint Committee within one month at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF....."

कृपया अवगत हों कि इस कार्यालय के अभिलेखानुसार आपके ईंट उद्योग को पूर्व में दिनांक–31.12.2014 तक की अवधि हेतु ही संचालन हेतु सहमति निर्गत की गयी थी। तत्पश्चात आप द्वारा इस कार्यालय से सहमति प्राप्त नहीं की गयी। ईंट उद्योग को बोर्ड मुख्यालय के पत्र दिनांक–15.07.2021 के माध्यम से बन्दी आदेश भी निर्गत है। तत्क्रम में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में मा0 अधिकरण में प्रेषित आवेदन की प्रति, संयुक्त कमेटी की जांच आख्या आदि पत्र के साथ संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित की जा रही हैं कि मा0 अधिकरण को प्रेषित आवेदन एवं संयुक्त कमेटी की जांच आख्या में दिए बिन्दुओं के सम्बन्ध में तथा पूर्व के वर्षों वर्ष–2015 से 2021 तक संचालन की स्थिति के सम्बन्ध में अपना पक्ष 01 सप्ताह के अन्दर इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें। जिससे मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली को ईंट भट्ठे के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा सके।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय

(प्रदीप कुमार विश्वकर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी 09/09/22

प्रतिलिपि:–निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदया, जनपद–रायबरेली।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–6), उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), जनपद–रायबरेली।
4. मुख्य विधि अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी 09/09/22

कार्यालय जिलाधिकारी, रायबरेली।

संख्या– 514/M-0/G/R/2022-23   दिनांक– 19/9/22

सेवा में,

मैसर्स नारायण ब्रिक फील्ड,
द्वारा श्री आकाश बाजपेई पुत्र श्री संतोष बाजपेई,
ग्राम–कोरवा, पो0–बिठूली, भोजपुर,
तह0–लालगंज, जनपद– रायबरेली।

विषय– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित वाद ओ0ए0 संख्या–350/2022 महेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में दिनांक–16.08.2022 को पारित आदेश के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का सन्दर्भ करने का कष्ट करें। अवगत हों कि आपके ईंट उद्योग के विरूद्ध मानकों के विपरीत स्थापना/संचालन के दृष्टिगत मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में ओ0ए0 संख्या–350/2022 महेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 के माध्यम से योजित वाद में मा0 अधिकरण द्वारा दिनांक–16.08.2022 को पारित आदेश [redacted] सुसंगत अंश निम्नवत हैं–

"..................Notice alongwith copies of the application and report of the Joint Committee be issued to the Project Proponent- Narayan Brick kiln through Akash Bajpayee son of Santosh Bajpayee, village Korba Block and Police Station Sareni, Tehsil Lalganj, District Rae Bareli, Uttar Pradesh, State PCB and District Magistrate, Rae Bareli requiring them to file their response/reply to the allegations made in the application/observations made in the report of the Joint Committee within one month at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.

5. List for further consideration on 10.10.2022.

6. Notice be served on the Project Proponent through District Magistrate, Raebareli and for this purpose notice issued to the Project Proponent be sent to the District Magistrate, Raebareli by E-mail for getting service of the same effected on the Project Proponent and sending his report in this regard.........."

कृपया अवगत हों कि क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, रायबरेली की आख्या दिनांक–09.09.2022 के अनुसार आपके ईंट उद्योग को पूर्व में दिनांक–31.12.2014 तक की अवधि हेतु ही संचालन हेतु सहमति निर्गत की गयी थी। तत्पश्चात आप द्वारा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से संचालन हेतु सहमति प्राप्त नहीं की गयी। ईंट उद्योग को बोर्ड मुख्यालय के पत्र दिनांक–15.07.2021 के माध्यम से बन्दी आदेश भी निर्गत है। तत्क्रम में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक–16.08.2022 के अनुपालन में मा0 अधिकरण में प्रेषित आवेदन की प्रति, संयुक्त कमेटी की जांच आख्या आदि पत्र के साथ संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित की जा रही हैं कि मा0 अधिकरण में प्रेषित श्री महेश कुमार का आवेदन एवं संयुक्त कमेटी की जांच आख्या में दिए बिन्दुओं के सम्बन्ध में अपना पक्ष 01 माह के अन्दर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण को ई–मेल–judicial-ngt@gov.in पर प्रेषित करना सुनिश्चित करें। जिससे मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों का अनुपालन ससमय सुनिश्चित किया जा सके।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,
(माला श्रीवास्तव)
जिलाधिकारी, रायबरेली

प्रतिलिपिः– निम्न लिखित को सचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), जनपद–रायबरेली।
2. उप जिलाधिकारी, तह0–लालगंज, जनपद–रायबरेली।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, रायबरेली
4. जिला खान अधिकारी, जनपद–रायबरेली।
5. अपर मुख्य अधिकारी, जिला–पंचायत, जनपद–रायबरेली।

जिलाधिकारी, रायबरेली

17/09/22

कार्यालय जिलाधिकारी, रायबरेली।

संख्या- 522/N-8/G/R/2022-23 दिनांक- 22/9/22

सेवा में,

उप जिलाधिकारी,
तह0-लालगंज, जनपद-रायबरेली।

विषय- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित वाद ओ0ए0 संख्या-350/2022 महेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में दिनांक-16.08.2022 को पारित आदेश के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का सन्दर्भ करने का कष्ट करें। अवगत हों कि आपके तहसील में स्थापित मैसर्स नारायण ब्रिक फील्ड, द्वारा श्री आकाश बाजपेई पुत्र श्री संतोष बाजपेई, ग्राम-कोरवा, पो0-विदूली, भोजपुर, तह0-लालगंज, जनपद-रायबरेली के विरूद्ध राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या-एच63463/सी-5/सा0-546/21/ईंट भट्ठा/बन्दी आदेश/रायबरेली/2021 दिनांक-15.07.2021 के माध्यम से बन्दी आदेश भी निर्गत है। जो वर्तमान में प्रभावी है। ईंट उद्योग के विरूद्ध मानकों के विपरीत स्थापना/संचालन के सम्बन्ध में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में ओ0ए0 संख्या-350/2022 महेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 के माध्यम से वाद योजित है जो वर्तमान में विचाराधीन है।

उक्त के दृष्टिगत आपको निर्देशित किया जाता है कि राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा निर्गत बन्दी आदेश के अनुपालन में एवं ईंट उद्योग के विरूद्ध मा0 अधिकरण में योजित वाद के विचाराधीन होने के दृष्टिगत ईंट उद्योग का संचालन निषेधित होने का सत्यापन करने व लगातार सतर्क दृष्टि रखना सुनिश्चित करें। साथ ही प्रश्नगत वाद में शिकायतकर्ता श्री महेश कुमार के प्रार्थना पत्र दिनांक-21.03.2022 व संयुक्त जांच आख्या दिनांक-28.06.2022 के आलोक में बिन्दुवार आख्या, फोटोग्राफ्स सहित शीघ्र प्रस्तुत करें। जिससे मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली को ईंट भट्ठे के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा सके।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(माला श्रीवास्तव)
जिलाधिकारी, रायबरेली

प्रतिलिपिः- निम्न लिखित को सचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), जनपद-रायबरेली।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, रायबरेली
3. जिला खान अधिकारी, जनपद-रायबरेली।
4. अपर मुख्य अधिकारी, जिला-पंचायत, जनपद-रायबरेली।
5. थानाध्यक्ष सरेनी, तह0-लालगंज, जनपद-रायबरेली को इस निर्देश के साथ कि सन्दर्भित ईंट उद्योग का निषेधित कराते हुए सतत निगरानी की जाय।

जिलाधिकारी, रायबरेली

O/C

19/09/22